

केंद्र सरकार द्वारा पेंशन योजनाएँ:

| स्कीम का नाम | लक्षित वर्ग | योग्यता | दस्तावेज़ | अयोग्य |
|---|-------------|--|--|--|
| वृद्धा पेंशन IGNOAPS- Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme | वृद्ध | <ul style="list-style-type: none"> 60 साल या 60 ज़्यादा उम्र वाले (पुरुष/महिला) BPL धारक हो आवेदक को कोई और पेंशन नहीं मिल रहा हो | <ul style="list-style-type: none"> BPL कार्ड या अधिकारी निर्गत प्रमाण पत्र छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र छायाप्रति आधार कार्ड छायाप्रति अथवा नहीं होने पर सवघोषणा पत्र बैंक खता का पासबुक की छायाप्रति अयोग्यता बिंदुओं के नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र | <ul style="list-style-type: none"> दो पहिया और चार पहिया धारक परिवार मशीन चलिक कृषि उपकरण धारक परिवार 50 हजार या उससे अधिक मानक किसान क्रेडिट धारक परिवार सरकारी सेवक वाले किसी परिवार के सदस्य सरकारी पंजीकृत गैर कृषि उद्योग धारक परिवार परिवार के कोई सदस्य महीने का 10 हजार से अधिक कमाने वाला परिवार आयकर अदा/ सेवा कर अदा करने वाला परिवार लैंड लाईन फोन और रिफ्रिजरेटर धारक परिवार 2.5 एकड़ सिंचित जमीन और साथ में एक सिचाई उपकरण धारक परिवार 5 एकड़ सिंचित जमीन हो और दो फसल उगता हो 7.5 एकड़ जमीन और एक सिचाई का साधन वाले परिवार सभी कमरों की पक्की दीवार, छत के साथ तीन अथवा कमरे (PMAY & IAY के लिए लागू नहीं) |
| विधवा पेंशन IGNWPS- Indira gandhi Widow Pension Scheme | विधवा | <ul style="list-style-type: none"> 40 साल या ऊपर वाली विधवा महिलाएं BPL धारक हो आवेदक को कोई और पेंशन नहीं मिल रहा हो | <ul style="list-style-type: none"> सदस्यता प्रमाण पत्र (राशन कार्ड) BPL कार्ड छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र छायाप्रति आधार कार्ड छायाप्रति अथवा नहीं होने पर सवघोषणा पत्र बैंक खता छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र छायाप्रति अयोग्यता बिंदुओं के नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र | |
| विकलांग पेंशन IGNDPS- Indira Gandhi Disability Pension Scheme | विकलांग | <ul style="list-style-type: none"> 18 वर्ष या ऊपर के (महिला/पुरुष) BPL धारक हो विकलांगता प्रमाण पत्र हो अन्य कोई पेंशन ना मिलती हो | <ul style="list-style-type: none"> BPL कार्ड छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र छायाप्रति आधार कार्ड छायाप्रति अथवा नहीं होने पर सवघोषणा पत्र न्यूनतम 80% दिव्यांगता प्रमाण पत्र छायाप्रति बैंक खता छायाप्रति | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> अयोग्यता बिंदुओं के नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र | |
|--|--|--|---|--|

राज्य सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजनाएँ:

*सब ही राज्य पेंशन योजनाएं राज्य में निवास करने वालों के लिए लागू हैं / 'आवेदक के परिवार' से तात्पर्य है - पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यंग बच्चे

| स्कीम का नाम | लक्षित वर्ग | योग्यता | दस्तावेज़ | अयोग्य |
|--|---------------------------------|---|---|--|
| SSSOAPS- State Social Security Old Age Pension Scheme (मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना) | वृद्ध | <ul style="list-style-type: none"> 50 साल या ऊपर की महिलायें 50 साल या ऊपर के अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) पुरुष शेष वर्गों के पुरुषों के लिए न्यूनतम 60 वर्ष | <ul style="list-style-type: none"> आयु प्रमाण पत्र ST एवं SC पुरुषों के लिये अंचल प्राधिकारी निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति बैंक खाता आधार कार्ड अथवा नहीं होने पर सवघोषणा पत्र | <ul style="list-style-type: none"> परिवार आयकर अदा करते हो आवेदक या उनके पति /पत्नी सरकारी या कोई सार्वजनिक क्षेत्र में स्थायी रूप से नौकरी हो आवेदक को कोई और दूसरी पेंशन मिलती हो |
| मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना (MMRVSPY: Mukhiya Mantri Rajya Vidhwa Samman Pension Yojana) | विधवा , एकल एवं परित्यक्त महिला | <ul style="list-style-type: none"> 18 वर्ष से ऊपर विधवा या परित्यक्त महिला 45 वर्ष से एकल महिला जिनका शादी नहीं हुआ हो | <ul style="list-style-type: none"> पहचान पत्र छायाप्रति आधार कार्ड या आधार कर न होने पर स्व घोषणा पत्र छायाप्रति बैंक खाता छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र छायाप्रति एकल एवं परित्यक्त महिला के लिए मुखिया एवं पंचायत सचिव/वार्ड पार्षद या विधायक/सांसद द्वारा अनुशंसा/प्रमाण पत्र अयोग्यता बिंदुओं के नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र | |
| SVNSPY- | विकलांग | <ul style="list-style-type: none"> 05 वर्ष या ऊपर | <ul style="list-style-type: none"> पहचान पत्र छायाप्रति जैसे मतदाता | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Swami Vivekanand Nihshakt Swavlamban Protsahan Yojana | | <ul style="list-style-type: none"> (महिला/पुरुष) 40% से ज्यादा विकलांगता (पुरुष/महिला) | <ul style="list-style-type: none"> आधार कार्ड या आधार कर न होने पर स्व घोषणा पत्र छायाप्रति 18 वर्ष से कम उम्र होने पर जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल के प्रधानचार्य निर्गत प्रमाण पत्र विकलांगता प्रमाण पत्र बैंक खाता अयोग्यता बिंदुओं के नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र | |
|---|--|--|---|--|

| स्कीम का नाम | लक्षित वर्ग | योग्यता | दस्तावेज़ | अयोग्य |
|--|----------------------------|--|--|---|
| AJJPY- आदिम जनजाति पेंशन योजना | आदिम जनजाति | <ul style="list-style-type: none"> आदिम जनजाति परिवार की विवाहित महिला जो 18 साल से ऊपर है (परिवार में वयस्क महिला ना होने पर वयस्क पुरुष मुखिया को मिल सकता है) | <ul style="list-style-type: none"> जाति प्रमाण पत्र BPL कार्ड छायाप्रति/ राशन कार्ड पहचान पत्र छायाप्रति जैसे मतदाता आधार कार्ड या आधार कार्ड न होने पर स्व घोषणा छायाप्रति बैंक खाता पासबुक छायाप्रति अयोग्यता बिंदुओं के नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र | <ul style="list-style-type: none"> परिवार का कोई सदस्य सरकारी या कोई सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी जिससे उन्हें नियमित मासिक आय की प्राप्ति हो आवेदक को कोई और दूसरी पेंशन मिलती हो |
| HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना | HIV/AIDS से पीड़ित व्यक्ति | <ul style="list-style-type: none"> आवेदक के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी HIV/AIDS से पीड़ित व्यक्ति जो ज़िला एड्स नियंत्रण सोसाइटी से ART/ARD प्राप्त कर रहे हैं | <ul style="list-style-type: none"> पहचान पत्र छायाप्रति आधार कार्ड या आधार कर न होने पर स्व घोषणा पत्र छायाप्रति बैंक खाता छायाप्रति अयोग्यता बिंदुओं के नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र | <ul style="list-style-type: none"> परिवार आयकर अदा करते हो आवेदक या उनके पति/पत्नी सरकारी या कोई सार्वजनिक क्षेत्र में स्थायी रूप से नौकरी हो आवेदक को कोई और दूसरी पेंशन मिलती हो |
| ट्रांसजेंडर के लिए सामाजिक | ट्रांसजेंडर | <ul style="list-style-type: none"> 18 वर्ष या ऊपर के राज्य के | <ul style="list-style-type: none"> मतदाता छायाप्रति | |

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------------------|--|--|
| सुरक्षा पेंशन | | निवासी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए | <ul style="list-style-type: none"> डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से प्रमाण पत्र दस्तावेज अयोग्यता बिंदुओं के नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र | |
|---------------|--|-----------------------------------|--|--|

कुछ और पेंशन योजनाएँ:

| | | |
|---|--|---|
| NFBS- National Family Benefit Scheme | BPL परिवार 18 से 59 वर्ष की आयु के प्राथमिक कमानेवाले व्यक्ति की मृत्यु पर एकमुश्त सहायता की राशि 20.000/- रुपये है। | <ul style="list-style-type: none"> परिवार आयकर अदा ना करते हो आवेदक या उनके पति /पत्नी सरकारी या कोई सार्वजनिक क्षेत्र में स्थायी रूप से नौकरी ना हो आवेदक को कोई और दूसरी पेंशन ना मिलती हो |
|---|--|---|

